COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES
COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES
COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES

1

~~206~~ (206)

न्यायालय :- श्रीमान राजस्वमण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /2017 निगरानी R 690-I-17

श्री विनोद श्रीवास्तव ए.एस. द्वारा आज दि. 20-2-2017 प्रस्तुत
20-2-17
राजस्व मण्डल

2-83
9/12/2016
R. Gupta

1- कमलादेवी पत्नी बद्रीप्रसाद

2- दुर्गाप्रसाद 3- योगेन्द्र पुत्रगण श्री रामदयाल

सभी निवासीगण अरोंद तहसील विजयपुर

जिला श्योपुर।म.प्र.।

4- योगेन्द्र 5- नरेन्द्र 6- रुपेन्द्र पुत्रगण श्री

सुमेरसिंह जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम अरोंद

तहसील विजयपुर जिला श्योपुर।म.प्र.।

7- जगदीशप्रसाद पुत्र श्री देवीलाल

8- रामदयाल पुत्र श्री प्रेमसुख जाति ब्राम्हण

निवासी ग्राम अरोंद तहसील विजयपुर जिला

श्योपुर।म.प्र.। निगर

9- शारदा फौत वारिसा

0000000000000 ,भूपेन्द्र, धर्मेन्द्र, पुत्रगण

श्री गंगाधर ,अनीता पुत्री गंगाधर निवासीगण

ग्राम अरोंद तहसील विजयपुर जिला श्योपुर।म.प्र.।

10- नरेश पुत्र रामभजन जाति ब्राम्हण निवासी

ग्राम इकलोद तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

तहसील विजयपुर जिला श्योपुर ।म.प्र.।

12- पूरन फौत वारिसान

जिल्ला पत्नी श्री पूरन,

नरेन्द्र, रामसिंह पुत्रगण पूरन

श्रीमती नीरज पुत्री पूरन सभी जाति नाई

निवासी, ग्रामअरोंद तहसील विजयपुर जिला

श्योपुर ।म.प्र.।

13- सूखा पुत्र श्री चिरोंजी निवासी

ग्रामअरोंद तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

14- देवीलालपुत्र फोदी

15- संतोषीपुत्र मंगलिया निवासी, ग्राम

अरोंद तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

16- केशरिया वारिसान

रामवीर पुत्र श्री केशरिया जातिकुशवाह

निवासी ग्राम अरोंद तहसील विजयपुर

जिला श्योपुर ।म.प्र.।

17- किशनलाल पुत्र गोविन्दा जाति कुशवाह

निवासी ग्राम अरोंद तहसील विजयपुर

जिला श्योपुर ।म.प्र.।

निगरानी

है।

है जि

लगायत

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर-आयुक्त महोदय चम्बल संभाग के प्र.क्र. 5/15-16 पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 9-11-16 अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू-राजस्वसंहिता 1959 ।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओरसे निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है -

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पत्र क्रमांक / रीडर/2015 /93-24 /रि/ प.ब. क्रमांक 115 /श्योपुर दिनांक 21-12-15 से प्रतिवेदित किया गयाकि कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.क्र. 55/2000-01×अ39 में परित आदेश दिनांक3-12-2000 से पटटेधारकों के पटटे राज्य वन सीमा विभाग व निराकरण के तहत किये गये है । उक्त पटटेदार दिनांक 3-12-76 के पूर्व वन क्षेत्र के काबिज अतिक्रमण व्यवस्था के योजना अन्तर्गत निरस्त नहीं होना चाहिये थे । अतः कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-12-2000 को स्वमेव निगरानी में लिया जावे।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर-आयुक्त महोदय चम्बल संभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्योपुरकी ओरसे प्राप्त प्र.क्र. 55/2000-01 ×अ/39 में पारित आदेश दिनाक 3-12-2000 का अवलोकन कियागया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 690–एक / 17 जिला–श्योपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 05 / पुनर्विलोकन / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 9.11. 2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 3 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	